भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3341

(20 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान

3341 # श्री बाबू राम निषाद:

श्री बृज लाल:

श्री मिथलेश कुमार:

श्री शंभू शरण पटेल:

श्री आदित्य प्रसाद:

श्री अशोकराव शंकरराव चव्हाण:

डा. परमार जशवंत सिंह सालमसिंह:

श्री सदानंद महालू शेट तानवड़े:

क्या ***ग्रामीण विकास*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्रियाशील ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (आरसेटी) की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या, प्रशिक्षित अभ्यर्थियों तथा योजना के अंतर्गत स्थापित किए गए लाभार्थियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) 'स्थापित'/प्रशिक्षित अभ्यर्थियों में से कितने प्रतिशत ने वेतनभोगी रोजगार के स्थान पर टिकाऊ स्वरोजगार उद्यम स्थापित किए हैं;

(ग) क्या 1-2 वर्ष की अनुवर्ती अवधि के दौरान प्रशिक्षण उपरांत हैंडहोल्डिंग समर्थन की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने हेतु उसकी निगरानी की जा रही है; और

(घ) विशेष रूप से कमजोर वर्गों से संबंधित प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को समयबद्ध बैंक ऋण उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क एवं ख) ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) योजना, डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत एक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है और यह रोजगार प्राप्त कराने के न्यूनतम 70% अधिदेश के साथ सतत आजीविका को बढ़ावा देने के लिए एमएसडीई के सामान्य मानदंडों के तहत संचालित कौशल भारत मिशन के एक रणनीतिक अंग के रूप में कार्य

करती है। इस योजना को ग्रामीण विकास मंत्रालय, प्रायोजक बैंकों और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के बीच त्रिपक्षीय साझेदारी के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है। प्रत्येक जिले में अग्रणी बैंकों द्वारा प्रबंधित एक आरसेटी स्थापित करने का अधिदेश है।

इस योजना के अंतर्गत, अब तक देश के 27 राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्रों के 619 जिलों में कुल 632 आरसेटी कार्यशील हैं। आरंभ से लेकर 31 जनवरी 2026 तक, इन संस्थानों ने लगभग 60.04 लाख अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया है, जिनमें से 43.53 लाख लाभार्थी नियोजित हो चुके हैं।

नियोजित अभ्यर्थियों में से अधिकांश ने सतत स्वरोजगार उद्यम स्थापित किए हैं। स्थापित अभ्यर्थियों में से लगभग 94% ने स्वरोजगार कार्यकलाप आरंभ किया है, जबकि लगभग 6% को वेतनभोगी/मजदूरी रोजगार में नियोजित किया गया है।

कार्यशील आरसेटी की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विस्तृत जानकारी, प्रशिक्षित अभ्यर्थियों और नियोजित लाभार्थियों का ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ग) आरसेटी योजना के अंतर्गत, एक से दो वर्ष की अनुवर्ती अवधि के दौरान प्रशिक्षण के उपरांत हैंडहोल्डिंग सहायता की व्यवस्थित रूप से निगरानी की जाती है, इस दौरान आरसेटी प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण पूर्ण होने के बाद दो वर्ष तक सतत स्वरोजगार को सुगम बनाने के लिए निरंतर सहायता प्रदान करता है।

निगरानी तंत्र में आरसेटी निदेशक/संकाय सदस्य द्वारा प्रशिक्षुओं के साथ नियमित अनुवर्ती भेंट एवं संवाद, एक समर्पित एमआईएस के माध्यम से नियोजन स्थिति की ट्रैकिंग, और बैंकों एवं राज्य सरकारों को आरसेटी द्वारा समय-समय पर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करना शामिल है। जिला स्तरीय समीक्षा समिति (डीएलआरसी) और राज्य स्तरीय समीक्षा समिति (एसएलबीसी) की बैठकों में प्रदर्शन एवं ऋण संबंधी मुद्दों की समीक्षा की जाती है। ग्रामीण विकास मंत्रालय निपटान परिणामों और समग्र प्रदर्शन का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर समय-समय पर समीक्षा भी करता है।

(घ) प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को, विशेष रूप से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिलाओं, अल्पसंख्यकों और बीपीएल परिवारों जैसी, संवेदनशील श्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थियों को समय पर बैंक ऋण सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय किए गए हैं। इनमें ऋण आवेदनों के त्वरित निपटान के लिए प्रायोजक बैंकों के साथ घनिष्ठ समन्वय, आरसेटी-प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को प्राथमिकता देने के लिए बैंक शाखाओं का संवेदीकरण, और डीएलआरसी/एसएलबीसी बैठकों में लंबित ऋण मामलों की नियमित समीक्षा शामिल है। आरसेटी निदेशक/संकाय सदस्य परियोजना रिपोर्ट तैयार करने, दस्तावेजीकरण पूरा करने और ऋण की त्वरित स्वीकृति एवं संवितरण को सुगम बनाने के लिए बैंक शाखाओं के साथ संपर्क करके प्रशिक्षुओं की सहायता करते हैं।

अनुबंध-I

राज्य सभा के दिनांक 20.03.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 3341 के भाग (क) और (ख) में उल्लिखित अनुबंध

आरसेटी के अंतर्गत आरंभ से जनवरी 2026 तक कार्यशील आरसेटी, प्रशिक्षित एवं स्वरोजगार सहित रोजगार प्राप्त अभ्यर्थियों के प्रतिशत का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा:

क्र.सं.	**राज्य का नाम**	**कार्यशील आरसेटी की संख्या**	**प्रशिक्षित अभ्यर्थियों की संख्या (लाख में)**	**रोजगार प्राप्त अभ्यर्थियों की संख्या (लाख में)**	**रोजगार प्राप्त में से स्वरोजगार करने वालो का %**
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1	0.06	0.05	92%
2	आंध्र प्रदेश	22	1.89	1.39	87%
3	अरुणाचल प्रदेश	2	0.05	0.03	96%
4	असम	28	1.95	1.31	97%
5	बिहार	38	3.91	2.82	98%
6	छत्तीसगढ़	29	1.75	1.25	86%
7	दादर एवं नागर हवेली	1	0.09	0.06	95%
8	गुजरात	29	3.57	2.59	96%
9	हरियाणा	21	1.98	1.32	95%
10	हिमाचल प्रदेश	10	0.87	0.61	93%
11	जम्मू और कश्मीर	20	1.22	0.90	92%
12	झारखंड	25	2.46	1.72	98%
13	कर्नाटक	32	4.38	3.21	93%
14	केरल	14	1.64	1.26	92%
15	लक्षद्वीप	1	0.03	0.02	100%
16	मध्य प्रदेश	53	4.70	3.29	95%
17	महाराष्ट्र	36	3.46	2.55	96%

18	मणिपुर	4	0.10	0.07	99%
19	मेघालय	5	0.25	0.14	98%
20	मिज़ोरम	3	0.10	0.08	96%
21	नागालैंड	1	0.05	0.04	100%
22	ओडिशा	30	3.07	2.38	92%
23	पुडुचेरी	1	0.12	0.09	92%
24	पंजाब	18	1.62	1.11	93%
25	राजस्थान	35	4.53	3.33	93%
26	सिक्किम	1	0.06	0.04	99%
27	तमिलनाडु	37	3.54	2.68	90%
28	तेलंगाना	17	1.08	0.82	93%
29	त्रिपुरा	6	0.42	0.28	98%
30	लद्दाख	2	0.06	0.04	97%
31	उत्तर प्रदेश	78	7.99	5.88	93%
32	उत्तराखंड	13	1.06	0.77	98%
33	पश्चिम बंगाल	19	1.99	1.43	98%
	कुल	**632**	**60.04**	**43.53**	**94%**

स्रोत: एनएसीईआर